**उत्तराखण्ड सीड्स एण्ड टी0डी0सी0 लि0,**
**पन्तनगर, पत्रालय– हल्दी, जनपद– ऊधमसिंहनगर**

**पत्रांकः उप्रएवंतविनि/18001**
**दिनांक जनवरी, 20, 1998**

## कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 288/पीआरसी/चौवालीस–1/93–85/90, दिनांक 08 जून, 1993 के क्रम में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी शासनादेश को निगम की सेवानियमावली के मूल नियम 26(2) के रूप में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल की 158वीं बैठक दिनांक 08.09.1997 में लिये गये निर्णय के सापेक्ष निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी लाभ शासनादेश में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना निगम में दिनांक 08.09.1997 से प्रभावी की जाती है तथा यह निगम सेवा नियमावली के मूल नियम 26(2) के रूप में परिभाषित है, निम्नवत् पठनीय होगा :–

26(2) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति :

निगम के नियमित कर्मचारी द्वारा आवेदन किये जाने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी नियम निम्नवत् होगा :

(अ) वह कर्मचारी जिसने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा उसकी आयु 40 वर्ष की हो गयी हो, लिखित अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

(ब) निगम के प्रबन्धकों को, लिखित कारणों का उल्लेख करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(स) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त होगें :

1. भविष्य निधि लेखे में देय अवशेष धनराशि।
2. निगम के नियमानुसार कर्मचारी के खातों में जमा उपार्जित अवकाश वेतन के बराबर धनराशि।
3. ग्रेच्युटी अधिनियम अथवा कर्मचारी पर लागू ग्रेच्युटी योजना के अनुसार ग्रेच्युटि की धनराशि।
4. कर्मचारी पर लागू सेवाशर्तों के अनुसार एक माह अथवा तीन माह जैसी भी स्थिति हो, की नोटिस के बदले उक्त अवधि का वेतन।

(द) इसके अतिरिक्त जिस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना स्वीकार कर लिया जाये, वह प्रत्येक वर्ष की पूर्ण की गयी सेवा के लिये डेढ माह की वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह धनराशि या सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की मासिक वेतन परिलब्धियों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्ति की सामान्य तिथि से पहले अवशेष महीनों से गुणा करने पर निकाली गयी धनराशि, जो भी कम हो, के भुगतान का हकदार होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति के लिए केवल एक वर्ष की सेवा शेष रह गयी हो तो उसे मात्र 12 माह की परिलब्धियों के बराबर एक्सग्रेशिया का भुगतान किया जायेगा न कि 36 माह की परिलब्धियॉ।

(य) इसके अलावा सेवानिवृत्ति कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से देश के अन्दर उस स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा जहॉ वह बसना चाहता है।

2. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी शासनादेश में समय–समय पर जो भी परिवर्तन होंगे वे निगम में भी तद्नुसार प्रभावी होंगे।

(के0के0 भाटिया)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः

1. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, मुख्यालय
2. समस्त क्षेत्रीय कार्यालय,
3. प्रभारी अधिकारी, समस्त बीज विधायन संयंत्र
4. संयुक्त मुख्य कार्मिक अधिकारी
5. सम्बन्धित पत्रावली।

**उत्तर प्रदेश शासन**
**सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–।**
**संख्या 288/पीआरसी/चौवालिस–।/93–85/90**
**लखनऊ दिनांक 08 जून, 1993**

## कार्यालय ज्ञाप

विषयः प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों के कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों के फालतू जनशक्ति को कम करने के उददे्श्य से शासन द्वारा इन उद्यमों/ निगमों के कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लागू करने के बारे में कुछ समय से विचार किया जा रहा था। इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों द्वारा अपने प्रशासनिक विभागों की पूर्व सहमति से निम्नलिखित शर्तों पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्तिक योजना लागू की जा सकती है :–

(अ) वह कर्मचारी जिसने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा उसकी आयु 40 वर्ष की हो गयी हो, लिखित अनुरोध पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है।

(ब) उद्यम के प्रबन्धकों को, लिखित कारणों का उल्लेख करने पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(स) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण करने वाले कर्मचारी को निम्नलिखित सेवानिवृत्तिक लाभ प्राप्त होगें :

1. सी0पी0एफ0 विनियम के अनुसार उसके भविष्य निधि लेखे में देय अवशेष धनराशि।
2. उद्यम के नियमों के अनुसार कर्मचारी के खाते में जमा उपार्जित अवकाश वेतन के बराबर धनराशि।
3. ग्रेच्युटी अधिनियम अथवा कर्मचारी पर लागू ग्रेच्युटी योजना के अनुसार ग्रेच्युटी की धनराशि।
4. कर्मचारी पर लागू सेवाशर्तों के अनुसार एक माह अथवा तीन माह जैसी भी स्थिति हो, की नोटिस के बदले उक्त अवधि का वेतन।

(द) इसके अतिरिक्त, जिस कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का प्रार्थना स्वीकार कर लिया जाय, वह प्रत्येक वर्ष की पूर्ण की गई सेवा के लिये डेढ़ माह की वेतन परिलब्धियों (वेतन तथा मंहगाई भत्ता) के बराबर अनुग्रह धनराशि या सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी की मासिक वेतन परिलब्धियों को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथि से पहले अवशेष महीनों से गुणा करने पर निकाली गयी धनराशि जो भी कम हो, के भुगतान का हकदार होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी ने 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति के लिए केवल एक वर्ष की सेवा शेष रह गयी हो तो उसे मात्र 12 माह की परिलब्धियों के बराबर एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जायेगा न कि 36 माह की परिलब्धियॉ।

(य) इसके अलावा सेवा निवृत्त कर्मचारी और उसका परिवार पात्र श्रेणी से देश के अन्दर उस स्थान तक यात्रा करने का पात्र होगा, जहॉ वह बसना चाहता हो।

(र) शासन का यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह किसी उद्यमविशेष की विशिष्ट परिस्थितियों के कारण स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को और अधिक उदार अथवा आकर्षक बनाने के उद्देश्य से उपर्युक्त ''अ'' तथा ''द'' के प्राविधानों को शिथिल कर सके।

(ल) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लागू होने के फलस्वरूप रिक्त हुए पदों को भरा नहीं जायेगा।

(व) योजना को लागू करने से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा सम्बन्धित उद्यम/निगम का अध्ययन करने के बाद उसके पुर्नगठन, निजीकरण या परिसमापन आदि के विषय में सम्यक निर्णय लिया जायेगा तथा एक प्रशासकीय वित्तीय पैकेज तैयार किया जायेगा जिसमें स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को भी एक अंश के रूप में शामिल किया जाय। योजना को लागू करने पर जो व्यय भार आयेगा उसे यदि सम्बन्धित उद्यम/निगम वहन करने के लिये सक्षम न हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा योजना को लागू करने के लिए तभी निर्णय लिया जायेगा जबकि नेशनल रिन्यूवल फण्ड तथा राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में दी जाने वाली सहायता की स्थिति स्पष्ट हो जाय।

2. यह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना सार्वजनिक उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं कार्यकारी निदेशकों को छोड़कर सभी अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू होगी।

3. यदि आपवादिक मामलों में कहीं उपरोक्त शर्त ''र'' के अनुसार योजना की शर्तों में शिथिलता प्रदान करने का प्रस्ताव है, वहॉ सार्वजनिक उद्यम विभाग की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

(सी0बी0 पालीवाल)
विशेष सचिव

सेवा में,

सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों से सम्बन्धित शासन के
प्रशासनिक विभागों के सचिव/ विशेष सचिव।

संख्या 288(1)/पीआरसी/चौवालिस–।/93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(2) सार्वजनिक उद्यमों/ निगमों से सम्बन्धित सचिवालय के प्रशासनिक अनुभाग।
(3) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सी0बी0 पालीवाल)
विशेष सचिव